



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273369  
CG-DL-E-11062026-273369

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2910]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2910]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 3008(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो ओडिशा राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो श्री देवाशीष सामंतराय, की उनकी पदावधि, जो तारीख 3 अप्रैल, 2030 को सम्मिलित करते हुए 3 अप्रैल, 2030 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 25 मई, 2026 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

घोषणा

ओडिशा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि—

श्री देबाशीष सामंतराय,  
मातृछाया, राजाबगीचा,  
पी.ओ. – तेलंगा बाजार,  
कटक – 753009, ओडिशा

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में श्री देबाशीष सामंतराय द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- ओडिशा विधान सभा सचिवालय, भुवनेश्वर

तारीख : 11.06.2026

ह/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. एच-11024/5/2026-वि02]

अकाली वी कोंघे, अपर सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2026

**S.O.3008(E).**— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of Odisha that fell vacant on 25<sup>th</sup> May, 2026 by reason of resignation of Shri Debashish Samantaray, before the expiration of his term of office which was up to and including 03<sup>rd</sup> April, 2030, is published for general information:-

**Declaration**

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Odisha.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:-

Debashish Samantaray  
Matruchhaya, Rajabagicha,  
Po.:-Telenga Bazar, Cuttack-  
753009, Odisha.

**Sponsored by Bharatiya Janata Party**

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Debashish Samantaray.

Place: Odisha Legislative Assembly Secretariat,  
Bhubaneswar

Date: 11.06.2026.

Sd/-  
Returning Officer”

[F. No. H-11024/5/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

**का.आ. 3009(अ).—** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो महाराष्ट्र राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो पवार, सुनेत्रा अजीत की उनकी पदावधि, जो तारीख 4 जुलाई, 2028 को सम्मिलित करते हुए 4 जुलाई, 2028 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 6 मई, 2026 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

**घोषणा**

महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि—

जैन, राजेन्द्र हीरालाल  
कुडवा लाइन,  
देशबंधु वार्ड,  
गोंदिया

जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में पवार, सुनेत्रा अजीत द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- विधान भवन, बैकवे रीक्लेमेशन, मुंबई - 400032

तारीख : 11 जून, 2026

ह/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. एच-11024/5/2026-वि02]

अकाली वी कोंघे, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2026

**S.O. 3009(E).**— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of Maharashtra that fell vacant on 06<sup>th</sup> May, 2026 by reason of resignation of Pawar, Sunetra Ajit, before the expiration of her term of office which was up to and including 04<sup>th</sup> July, 2028, is published for general information:-

**Declaration**

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

**Jain, Rajendra Hiralal**  
Kudwa Line,  
Deshbandhu Ward,  
Gondia

sponsored by - **Nationalist Congress Party** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Pawar, Sunetra Ajit.

Place : Vidhan Bhavan,  
Backbay Reclamation,  
Mumbai - 400 032.

Date: 11<sup>th</sup> June, 2026.

Sd/-  
Returning Officer”

[F. No. H-11024/5/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

**का.आ. 3010(अ).**— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो तमिलनाडु राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो तिरु सी.वी. शनमुगम, की उनकी पदावधि, जो तारीख 29 जून, 2028 को सम्मिलित करते हुए 29 जून, 2028 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 7 मई, 2026 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

**घोषणा**

तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि—

तिरु प्रवीण चक्रवर्ती  
सं. 2, क्रीसेंट एवेन्यू, केशव पेरुमलपुरम,  
चेन्नई - 600028

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में तिरु सी.वी. शनमुगम द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- चेन्नई - 600009

तारीख : 11.06.2026

ह/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. एच-11024/5/2026-वि02]

अकाली वी कोंघे, अपर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

**S.O. 3010(E).**— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of Tamil Nadu that fell vacant on 07<sup>th</sup> May, 2026 by reason of resignation of Thiru. C. Ve. Shanmugam, before the expiration of his term of office which was up to and including 29<sup>th</sup> June, 2028, is published for general information:-

#### Declaration

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Tamil Nadu.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that

**Thiru. Praveen Chakravarthy,**  
No.2, Crescent Avenue,  
Kesava Perumalpuram,  
Chennai – 600 028.

**Sponsored by Indian  
National Congress**

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Thiru. C.Ve. Shanmugam.

Place: Chennai – 600 009.

Date : 11.06.2026

Sd/-

Returning Officer”

[F. No. H-11024/5/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.